प्रस्ताव हेतु अनुरोध: पेंशन निधि न्यास हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

आरएफपी संदर्भ सं.:- रा.आ.बैंक/नदि/मा.सं. एवं प्र./ए-8477/2019

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)-

पेंशन निधि न्यास हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति

मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली -110003
फोन: 011-24626383, 011-24617101
ई-मेल: susanta.padhi@nhb.org.in, puneet.chauhan@nhb.org.in

शब्दावली

संक्षेपाक्षर	**विवरण**
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
HO	प्रधान कार्यालय, दिल्ली
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई
EMD	बयाना जमा-राशि
RFP	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
SLA	सेवा स्तरीय करार

***व्याख्या**: शब्द आरएफपी, निविदा, बोली एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं एवं इसे एक व इस आरएफपी दस्तावेज के प्रयोजनार्थ एक जैसा ही समझा जायेगा। सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, आशोधन, पूरक जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किये जा सकते हैं, इस आरएफपी के हिस्से एवं अभिन्न अंग के तौर पर समझा जाएगा एवं आरएफपी दस्तावेज में समाविष्ट होंगे।*

महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों शुरु होने की तारीख	22.10.2019
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (तारीख एवं समय)	25.10.2019, दोपहर 3:00 बजे
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	13.11.2019, शाम 5:00 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तारीख एवं समय	15.11.2019, दोपहर 3:00 बजे
5.	आरएफपी की लागत	शून्य
6.	बयाना जमा - राशि	25,000/- रुपये
7.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग, प्रधान कार्यालय, कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

टिप्पणी: -

- **वाणिज्यिक बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उक्त अनुसार इसमें भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी।**

- **इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना, रिपोर्ट की जायेगी और इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जायेगी।**

विषय - सूची		
क्रम सं	**विवरण**	**पृष्ठ सं.**
1.	राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय	5
2.	अपेक्षित विवरण	5
3.	कार्यक्षेत्र	5-6
4.	भुगतान की शर्तें	6
5.	देयता खंड	7
6.	क्षतिपूरण	7
7.	संविदा की अवधि	7
8.	बोलीदाताओं को निर्देश	8-18
9.	बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक) और बोली मूल्यांकन पद्धति	18
10.	सामान्य नियम और शर्तें	18-20
11.	कार्य आदेश/ लेटर ऑफ अवार्ड की स्वीकृति	20
12.	निश्चित करार	20
13.	संविदा दस्तावेजों और सूचनाओं का उपयोग	20
14.	समनुदेशन	20
15.	संविदा-पूर्व प्रमाणिकता संधि खंड	21
अनुलग्नक		
13.	अनुलग्नक क	23-24
14.	अनुलग्नक ख- अनुपालन बयान घोषणा	25
	अनुलग्नक ग- न्यूनतम पात्रता मानदंड	26
	अनुलग्नक घ- वाणिज्यिक प्रस्ताव हेतु प्रारूप	27
	अनुलग्नक ड.- ईसीएस अधिदेश	28-29
	अनुलग्नक च- संविदा-पूर्व प्रमाणिकता खंड	30-40
	अनुलग्नक छ- सेवा स्तरीय करार	41-58
	अनुलग्नक ज- गोपनीयता सह अप्रकटीकरण करार	59-64

1. राष्ट्रीय अवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत की गई है।

क. रा.आ.बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को पर्यवेक्षी करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. वर्तमान में बैंक में 44 मौजूदा पेंशनर हैं और 48 सेवारत कर्मचारी हैं जो पेंशन के लिए पात्र होंगे।

ग. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु,कोलकाता और अहमदाबाद में है।

2. अपेक्षित विवरण:

रा.आ.बैंक पेंशन निधि न्यास से संबंधित वित्तीय और विनियामक मामलों का प्रबंध करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति।

3. <u>कार्य क्षेत्र:</u>

- मासिक आधार पर बैंक समाधान (रिकॉन्सिलेशन)।
- प्रत्येक माह की 7वी तारीख तक मासिक आधार पर टीडीएस चालान जमा करना।
- प्रत्येक तिमाही समाप्ति के 20वें उत्तरवर्ती महीने पर देय, बीमांकिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु तिमाही आधार पर बीमांकिक सूचना डेटा तैयार करना।
- प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत करने हेतु यथा 31 मार्च और 30 जून को तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता तैयार करना।
- वार्षिक आधार पर यानी 31 मार्च से 31 सितंबर तक समाप्त वर्ष हेतु आयकर विवरणी दाखिल करना।
- आयकर प्रश्नों को हैंडल करना/ आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देना, यदि कोई हो। यदि आवश्यक हो तो रा.आ.बैंक पेंशन निधि न्यास द्वारा प्रदान किये जाने वाला मुख्तारनामा।
- प्रत्येक वर्ष 30 मई तक यथा 31 मार्च को पेंशनरों के फॉर्म 16 तैयार करना।
- आईटी प्राधिकरण द्वारा यथा लागू या पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु तिमाही के अंत/31 मई के उत्तरवर्ती माह के 30वें के भीतर तिमाही आधार पर आयकर वेबसाइट में पेंशनरों की टीडीएस विवरणी दाखिल करना।
- मासिक आधार पर कटौती किये जाने वाले टीडीएस और पेंशनरों की पेंशन की जाँच करना।
- मासिक आधार/ लेखापरीक्षकों /हितधारकों आदि द्वारा यथा आवश्यक अन्य जानकारी पर पेंशन तैयार/संकलन करने में न्यास के साथ समन्वय करना।
- परामर्शदाता को यह सुनिश्चित करना है कि इस संबंध में प्रचलित न्यास/आरबीआई/आयकर अधिनियम/ दिशानिर्देशों के अनुपालन में सौंपे गए कार्य किए जाते हैं।
- आईबीए द्वारा संशोधित पेंशनरों के लिए डीए की प्रयोज्यता।
- पेंशन निधि न्यास के कर मामलों से संबंधित कोई अन्य कार्य।

4. <u>भुगतान की शर्तें:</u>

कोटेशन में सभी करों के अंतिम मूल्य शामिल हों। जीएसटी सहित लागू करों का भुगतान उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त किया जाएगा। रा.आ.बैंक स्रोत पर इस तरह की कर कटौती करने हेतु प्राधिकृत है जैसा कि परामर्शदाता को किए गए भुगतान के संबंध में कानून/नियमों के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

भुगतान तिमाही आधार पर जारी किए जाएंगे।

आरएफपी की शर्तों के अधीन, संविदा समाप्त होने की स्थिति में, सेवाओं का भुगतान वसूली योग्य और लागू टीडीएस / अन्य लागू करों में कटौती के बाद जिस अवधि के लिए सेवाओं की डिलीवरी की गई है, आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

5. देयता खंड:

परामर्शदाता इस आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं के निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक के प्रति तथा ऐसे कार्य निष्पादन में परामर्शदाता की ओर से कोई चूक होने पर रा.आ.बैंक को हुए किसी नुकसान के लिये उत्तरदायी होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी भी मामले में, परामर्शदाता का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो बैंक के पास ईएमडी को जब्त करने और संविदा को समाप्त करने का भी विवेक होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6. क्षतिपूरण:

परामर्शदाता इस कार्य/संविदा के निष्पादन से उत्पन्न, परामर्शदाता, या नियत कर्मचारियों, अधिकारियों या एजेंटों के कार्यों या चूकों से उत्पन्न उनकी लागत और खर्चों सहित किसी भी प्रकृति या प्रकार के सभी दावों, मांगों, हरजाने और देयता के विरुद्ध रा.आ.बैंक, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करेगा। यह प्रावधान अन्य बातों के साथ कर और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा चूक या विवरणी दाखिल करने में देरी के लिए किए गए सभी दावों और मांगों का विस्तार करेगा।

7. **संविदा की अवधि:**

संविदा की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए है, जिसे वाणिज्यिक बोली में उद्धृत दर में मौजूदा नियम और शर्तों पर वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा के अधीन अधिकतम तीन वर्ष तक वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए परामर्शदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

8. बोलीदाताओं को निर्देश

8.1 सामान्य:-

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी, एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं से किसी भी तरह जुड़े एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।

- किसी भी बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले संविदा-पूर्व प्रमाणिकता संधि को छोड़कर कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि अनुबंधात्मक करार का निष्पादन न किया जाये। बोलियों का मूल्यांकन एवं उसे अंतिम रूप देने और सफल बोलीदाता की पहचान करने के बाद, प्रमाणिकता संधि सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले निश्चित करार का हिस्सा बनेगी। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा पूर्व प्रमाणिकता संधि प्रस्तुत की गई बोली के संबंध में उक्त संविदा पूर्व प्रमाणिकता संधि के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा प्रतिबद्ध किसी भी कार्य/चूक के लिए उन पर बाध्यकारी होगी।

- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र परामर्शदाताओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें, जो नीचे दिया गया है:

संपर्क व्यक्ति:
श्री एस.के. पाढ़ी, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन और प्रशासन विभाग राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 ई-मेल: susanta.padhi@nhb.org.in फोन नं .011-39187113

- रा.आ.बैंक निविदा/आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।

- बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।

- यदि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि किसी प्रश्न का प्रवर्तक ऐसे प्रश्न के किसी भी प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो रा.आ.बैंक सभी बोलीदाताओं को ऐसे प्रत्युत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति/यों के समक्ष सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार प्रात: 11.00 से सायं 5.00 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व रख सकते हैं।

- रा.आ. बैंक अपने आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

8.2 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 25.09.2019 को शाम 5 बजे अथवा उससे पूर्व ईमेल या डाक द्वारा उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं का प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

8.3 निविदा / आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा दस्तावेज की साफ़्ट प्रति बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8.4 निविदा / आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

8.5 मिटाना अथवा संशोधन

मिटाये अथवा संशोधित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतःविषय, विलोपन या अधिलेखन को केवल रा.आ.बैंक के विवेक पर विचार किया जा सकता है, यदि वे बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आरंभ किए जाते हैं। हालाँकि, किसी भी रूप में किसी भी तरह का इंटरलिनेशन, मिटाने या अधिलेखन को वाणिज्यिक बोली में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तुत किए जा रहे उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी अवश्य भरनी चाहिए। जानकारी भरने में 'ठीक है', 'स्वीकार है', 'देख लिया है', 'जैसा ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है' जैसे शब्द स्वीकार्य नहीं हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य के तौर पर समझेगी। आवास बैंक इस प्रस्ताव में किसी प्रकार के गैर अनुरूपता अथवा मामूली अनियमितता पर अपने विवेक पर छूट दे सकता है जो रा.आ.बैंक की राय में सहायक है और आवश्यक नहीं है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे छूट देने के अधिकार सुरक्षित हैं।

8.6 बोली /निविदा/ आरएफपी दस्तावेज़ों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधित कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार की चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को स्क्रैप करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

8.8 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारूप में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

1. अनुलग्नक **I** में यथा निर्दिष्ट प्रारुप में बोलीदाता की जानकारी**;**
2. अनुलग्नक **II** में यथा निर्दिष्ट प्रारुप में बोलीदाता के अनुभव का ब्यौरा**;**
3. अनुलग्नक **III** में यथा निर्दिष्ट प्रारुप में अनुपालन वक्तव्य घोषणा**;**
4. अनुलग्नक **IV** में यथा निर्दिष्ट प्रारुप में विचलनों की सूची**,** यदि कोई**;**
5. अनुलग्नक **V** में यथा निर्दिष्ट प्रारुप में न्यूनतम पात्रता पर जानकारी**;**
6. अनुलग्नक **VI** में न्यूनतम पात्रता मानदंड कवरिंग
7. अनुलग्नक **VII** में वाणिज्यिक बोली कवरिंग पत्र
8. अनुलग्नक **VIII** में वाणिज्यिक बोली प्रारूप
9. अनुलग्नक **IX** में यथा निर्दिष्ट प्रारुप में ईसीएस अधिदेश**;**
10. अनुलग्नक **X** में यथा निर्दिष्ट प्रारुप में योग्यता पत्र**;**
11. **अनुलग्नक XII** में प्रारूप में मुख्य कार्मिक का बायोडेटा;

12. **अनुलग्नक XII** *(संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर स्पष्ट टाइप किया जाना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से उक्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए)* में प्रारूप में संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट (जहां भी लागू हो)।

टिप्पणी: ईएमडी राशि के बिना बोलियों को संक्षिप्त रूप में खारिज कर दिया जाएगा।

8.9 बोली मुद्रा

मूल्य केवल भारतीय रूपए में व्यक्त किए जाएंगे। भारतीय रूपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.10 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 25,000 रूपये (पच्चीस हजार रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र.स.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं .	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं .	110004005

(ख) भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा न्यूनतम पात्रता मानदंड के साथ अलग लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश पत्र, जैसा अनुलग्नक **ड.** में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ग) यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

(घ) ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ङ)जैसा यहां बताया गया है वैसा या फिर जैसा निर्धारित करार में बताया गया है, सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि कार्य/संविदा देने के पश्चात 15 दिन या उससे पहले निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर लौटा दिया जाएगा। सफल बोलीदाता की ईएमडी को अनुबंध की अवधि के दौरान रा.आ.बैंक द्वारा बरकरार रखा जाएगा और अनुबंध की अवधि पूरी होने या अनुबंध की समाप्ति के बाद वापस कर दिया जाएगा, जब तक कि आरएफपी / अनुबंध के संदर्भ में जब्त नहीं किया जाता है।

(च) ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली आहरित कर लेता;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल हो जाता है; और
- संविदा-पूर्व प्रमाणिकता संधि के किसी भी उल्लंघन के मामले में।
- आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र आरंभ होगा।

8.11 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ.बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली की प्रतिभूति/ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

8.12 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा:

- **भाग I**: न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली तथा प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली (बिना किसी मूल्य के मूल्य बोली) शामिल हैं। उपरोक्त कंटेन्ट **"तकनीकी प्रस्ताव"** के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे।
- **भाग II** : **"वाणिज्यिक प्रस्ताव"** के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।
- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोली लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत बोलीदाता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्ति जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

8.13 बिडों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिए रा.आ.बैंक के पते पर भेजे जाएंगे:

श्री एस.के. पाढ़ी
उप महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड
नई दिल्ली – 110003

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा हो।
- बोलीदाता न्यूनतम पात्रता मानदंड और ईएमडी (तकनीकी प्रस्ताव) और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफे को अलग से मुहरबंद करेगा और दोनों को बड़े लिफाफे में संलग्न करें।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर **'पेंशन निधि न्यास के लिए सलाहकार की नियुक्ति हेतु तकनीकी प्रस्ताव**'' और **'' पेंशन निधि न्यास के लिए सलाहकार की नियुक्ति हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव''** अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हो तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

8.14 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।.
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, पूर्व समय सीमा के अधीन रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और दायित्व बढ़ाई गई समय सीमा के अधीन होंगे।

8.15 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

8.16 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्दिष्ट तारीख और समय को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- तकनीकी बोलियों खोलने का स्थानः

  राष्ट्रीय आवास बैंक,
  कोर 5 ए, तीसरी मंजिल,
  भारत पर्यावास केन्द्र,
  लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

- बोलीदाता के नाम और उपस्थिति या अपेक्षित ईएमडी की अनुपस्थिति,तथा अन्य ब्योरे जिसे रा.आ.बैंक अपने निर्णयानुसार उचित समझता है, की घोषणा वाणिज्यिक बोली खोलने के समय की जाएगी।

8.17 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.18 प्रारंभिक जांच

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखा करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

8.19 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह विशिष्ट अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

8.20 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक घ** में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सष्ट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
  - वाणिज्यिक प्रस्ताव निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। कर (वर्तमान और भविष्य) अनन्य कंसल्टेंसी की लागत से संबंधित किसी भी मूल्य परिवर्तन को संविदा की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।
  - कोट किया गया मूल्य करों का अन्नय होना चाहिए। मूल रूप से जीएसटी/अन्य करों का भुगतान सांविधिक संशोधन के अनुसार किया जाएगा।

- बोलीदाता द्वारा कोट किया गया मूल्य संविदा यानी एक वर्ष की अवधि हेतु बोलीदाता के कार्य निष्पादन के दौरान दृढ़ रहेगा जिसे संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- संविदा की प्रारंभिक तिथि लेटर ऑफ अवॉर्ड (प्रारंभिक तिथि) की स्वीकृति की तिथि या ऐसी अन्य तिथि होगी जो रा.आ.बैंक द्वारा तय की जा सकती है। यदि लागू हो तो उक्त तिथि को संविदा के नवीनीकरण हेतु माना जाएगा।

8.21 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व की बैठक के बाद ही बोलियाँ जमा करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-डिलीवरी के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।.

8.22 कीमतों का प्रकटन

किसी भी रूप में या किन्हीं कारणों से कीमतों को वाणिज्यिक बोली को छोड़कर बोली के तकनीकी या अन्य भागों में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफलता बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.23 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है और यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

8.24 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके परामर्शदाता से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.25 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

8.26 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र न्यूनतम पात्रता मानदंड बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

8.27 कानूनों का अनुपालन

(क) परामर्शदाता / बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके

कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति,हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) परामर्शदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा राष्ट्रीय आवास बैंक परामर्शदाता को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत परामर्शदाता के अधिकारों /दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8.28 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

a. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बयाना / ईएमडी जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
b. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है, रा.आ.बैंक अपने विवेक से उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा कि संविदा की समाप्ति के लिए आरएफपी में प्रदान किया गया है।

9. बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक) और बोली मूल्यांकन पद्धति

वें बोलियां जो न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करती है, वे आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी और तत्पश्चात बोलियां जो न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन मानदंड दोनों को पूरा करती है, वे वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु पात्र होंगी।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**